सं. ई.11016/1/2014-हिन्दी

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक- 07 नवम्बर ~~अक्तूबर~~, 2016

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.09.2016 को हुई 66वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 66वीं बैठक श्री के.एम.एम. अलिमाल्मिगोति, आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी , जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2016 को 03.30 बजे (अपराह्न) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/संगठन/अधीनस्थ कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

2. बैठक के प्रारंभ में, उप-निदेशक (रा.भा.) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची मदों के आधार पर, विधिवत् रूप से बैठक की कार्यवाही शुरू की। सबसे पहले, कार्यसूची की मद संख्या-1 के तहत दिनांक 10.06.2016 को हुई समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

3. उसके पश्चात्, कार्यसूची की मद सं.-2 के अनुसार पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया गया। पिछली बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर अपेक्षित कार्रवाई की गई है। पिछली बैठक के निर्णयों के अनुसरण में, निम्नलिखित अनुवर्ती कार्रवाई की गई है:

i. धारा 3(3) और नियम 5 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए सभी अनुभागों और अन्य संबंधित संगठनों को समय-समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं। कुछ अनुभागों में नियम 5 के हो रहे उल्लंघन पर समिति में चिंता जताई । इस संबंध में संबंधित अनुभागों के संयुक्त सचिवों को अध्यक्ष की ओर से 19.09.2016 को पत्र भेजा गया है।

ii. मंत्रालय के कई अनुभागों एवं अधीनस्थ संगठनों के मूल हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम है। इसमें वृद्धि करने के लिए सभी अनुभागों एवं संगठनों को निर्देश जारी किया गया है।

iii. 'क' क्षेत्र में स्थित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में फाइलों पर टिप्पण 75% हिन्दी में होना चाहिए। 'ख' व 'ग' क्षेत्रों में स्थित संगठनों के लिए इससे संबंधित लक्ष्य क्रमश: 50% और 30% है। कई अनुभाग एवं कार्यालय इस लक्ष्य से काफी पीछे हैं। दिनांक 19.07.2016 को आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में मंत्री महोदया ने निर्देश दिया था कि सभी फाइलों पर नोटिंग हिन्दी में की जाए। इस संबंध में आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी महोदय की ओर से दिनांक 04.08.2016 को आदेश जारी कर दिया गया है।

iv. समिति की तिमाही बैठक में सदस्यों की कम उपस्थिति के संबंध में समिति ने चिंता जताई और उनके संबंधित संयुक्त सचिवों को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष की ओर से दिनांक 24.08.2016 को अ.शा. पत्र लिखा गया है।

5. बैठक में सदस्यों की कम उपस्थिति पर अध्यक्ष महोदय ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेश दिया कि बैठक में अनुपस्थित अनुभागों के संयुक्त सचिवों को और अनुपस्थित संगठनों के प्रमुखों को अध्यक्ष महोदय की ओर से पत्र लिखा जाए साथ ही कहा गया कि बैठक में सदस्य ही भाग लें अर्थात अनुभाग अधिकारी या उनसे उपर के अधिकारी।

6. कार्यसूची की मद सं.- 3 के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2015 तथा दिनांक 31.03.2016 को समाप्त अवधि की तिमाही रिपोर्टों के आधार पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की अनुभाग-वार तुलनात्मक स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.12.2015 को समाप्त

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.09.2016 को हुई 66वीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।

1. श्री के.एम.एम. अलिमाल्मिगोति, आर्थिक सला. एवं रा.भा. प्रभारी, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मं- **अध्यक्ष**
2. श्री संतोष प्रसाद, अनुभाग अधिकारी (स्थापना-।।।), ज.सं., न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।
3. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, वरि. मूल्यांकन अधिकारी, ल. सिं. (सांख्यिकी) विंग, ज.सं., न.वि.और गं.सं. मं।
4. श्री रमेश प्रसाद शर्मा, मान. चित्रकार, बाण सागर नियंत्रण परिषद, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. श्री सुबोध कुमार जैन, कनिष्ठ अनु. सहायक, बेतवा नदी परिषद् झांसी।
6. श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना।
7. सुश्री अर्चना गुप्त, सहायक निदेशक (रा.भा.), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली।
8. सुश्री निम्मी भट्ट, उप मुख्य प्र. (रा.भा.), वाप्कोस लिमिटेड, गुडगांव
9. डॉ. मनोहर अरोड़ा, वैज्ञानिक डी एवं रा.भा. अधिकारी, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की।
10. श्री पवन कुमार, पी.ए. एवं सह-संपादक जल चेतना, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की।
11. श्री मोहन कोईराला, हिन्दी अधिकारी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, वशिष्ठ गुवाहाटी-29, असम।
12. श्री सुनील कुमार राणा स.ले.अ., लेखा नियंत्रक का कार्यालय, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
13. सुश्री उर्मिला रानी, आशुलिपिक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण।
14. श्री संजीव शर्मा, उप-प्रबंधक (हिन्दी), एनपीसीसी लिमिटेड, फरीदाबाद।
15. श्री ना.प्र. नामदेव, उप-अधिकारी अभियंता, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बड़ोदरा।
16. सुश्री रजिन्दर पाल, सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय जल आयोग।
17. श्री अनिल कुमार लखानी वरिष्ठ अनुवादक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला।
18. श्री अनिल कुमार, सहायक निदेशक (रा.भा.), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना।
19. श्री नेमी चन्द्र जैन, निदेशक (तकनीकी) एवं राजभाषा अधिकारी, रा.ज.वि.अ.।
20. श्री रनबीर सिंह, सलाहकार, कमान क्षेत्र विकास अनुभाग, ज.सं., न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।
21. श्री शौभिक भारद्वाज, सहायक अनुभाग अधिकारी, पी.एस.यू. ज.सं., न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।
22. श्री धर्मवीर सिंह रावत, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, कमान क्षेत्र विकास अनुभाग।
23. श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी, प्रशासन अनुभाग, ज.सं., न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।
24. श्री लक्ष्मी चन्द, अनुभाग अधिकारी, पीपी अनुभाग, ज.सं., न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।।
25. श्री अशोक कुमार कौशिक, अवर सचिव, प्रशासन एवं रोकड़ अनुभाग, ज.सं., न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।
26. श्री मुकेश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, ज.सं., न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।
27. श्री श्याम कुमार, अनुभाग अधिकारी, समन्वय, ज.सं., न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।
28. श्री रूप लाल, अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन, ज.सं., न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।
29. श्री जसबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी, स्थापना-IV, ज.सं., न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।
30. श्रीमती श्रद्धा माथुर, सहायक निदेशक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय श्रम शक्ति भवन।
31. श्री राम ललित, निजी सचिव, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन।
32. श्री परमजीत यादव, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन।
33. श्री दीपक खत्री, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन।

34. श्री देवानन्द दास, कनिष्ठ अनुवादक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन।

35. सुश्री हिमांशी, कनिष्ठ अनुवादक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन।

36. श्री हरीश कुमार, आशुलिपिक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन।

37. श्री अफराज खान, आशुलिपिक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन।

38. श्रीएम.सी.भारद्वाज, उपनिदेशक (राजभाषा), ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय - **सदस्य सचिव**

****

तिमाही की स्थिति की तुलना में दिनांक 31.03.2016 को समाप्त तिमाही में, कुछ अनुभागों के हिन्दी पत्राचार और हिन्दी टिप्पण आदि के प्रतिशत में प्रगति हुई है। इस पर समिति ने संतोष व्यक्त किया पर कुछ अनुभगों जैसे स्थापना-III, सतर्कता, जल गुणवत्ता, लघु सिंचाई(सांख्यिकी) अनुभागों में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत लक्ष्य से पीछे है। समिति ने इस पर चिंता व्यक्त की। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि जिन अनुभागों का पत्राचार कम है या पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में गिरावट आई है या नियम-5 का उल्लंघन किया है, उन अनुभागों को अध्यक्ष महोदय की ओर से पत्र लिखा जाए।

उल्लेखनीय है कि उपनिदेशक(रा.भा.) ने बताया कि अभी पखवाड़े पर मंत्री महोदय एवं सचिव महोदय का संदेश आया था उसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी काम-काज हिन्दी में करें। आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी महोदय ने कहा कि माननीय मंत्री महोदया ने हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में यह आदेश दिया था कि मूल रूप से हर काम हिन्दी में ही हो। ऐसे में हमे जितना संभव हो अनुवाद कार्य से बचना चाहिए और मूल रुप से हिंदी में ही काम करना चाहिए। हिन्दी की प्रोत्साहन योजनाओं तथा प्रकाशन कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की ओर भी आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी महोदय ने सबका ध्यान आकृष्ट किया।

7. कार्यसूची की मद सं.-4 के तहत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों की तिमाही रिपोर्टों की तुलनात्मक समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ संगठनों का हिन्दी पत्राचार लक्ष्य से काफी कम है जैसे लेखा नियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली, एन.पी.सी.सी, फरीदाबाद, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बड़ोदरा । ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा धारा 3(3) का उल्लघंन किया गया है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्यालयों को अध्यक्ष महोदय की ओर से पत्र लिखा जाए।

8. कार्यसूची की मद संख्या 5 के तहत राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में विचारणीय मुद्दों के रूप में निर्धारित किए गए विषयों के बारे में गहन रूप से चर्चा हुई। धारा 3(3) और नियम 5 का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ साथ हिन्दी टिप्पण, हिन्दी पत्राचार, हिन्दी प्रशिक्षण, वेबसाईट पूरी तरह द्विभाषी बनाने,

कोड/मैनुअल पूरी तरह से द्विभाषी बनाने, सभी कम्प्यूटरों पर हिन्दी (यूनिकोड) में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी प्राप्त किया जाए। अधिकाधिक अनुभागों को पूरा काम हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट भी किया जाए।

9. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मदों के तहत मंत्रालय के सभी संगठनों से आए राजभाषा अधिकारियों के साथ हिन्दी के प्रचार प्रसार एवं इस संबंध में आ रही समस्यायों पर चर्चा की गई। सभी प्रतिनिधियों ने अपने-अपने कार्यालय में हिन्दी स्थिति और समस्याएं बताई । कई प्रतिनिधियों नें कहा कि मंत्रालय से पत्र अंग्रेजी में भेजे जाते है जबकि उन्हें हिन्दी में अथवा द्विभाषी रुप में भेजा जाना चाहिए। चर्चा के दौरान तकनीकी विषयों में हिन्दी मे काम करने में समस्या की बात कही गई थी। इस पर आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी महोदय ने इसरो, श्रीहरिकोटा का उदाहरण दिया और कहा कि वहाँ लगभग सारा कार्य वैज्ञानिक प्रकृति का होने के बावजूद हिन्दी में ही किया जाता है। चर्चा में नियमित राजभाषायी निरीक्षण करने पर जोर दिया गया। साथ ही हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में मंत्रालय के सभी संगठनों के प्रमुखों को बुलाया जाए, ताकि बैठक के दौरान अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें ।

संगठनों से आए राजभाषा अधिकारियों ने राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करने का भी सुझाव दिया। इसके लिए बारी-बारी से प्रत्येक संगठन को आयोजन का दायित्व दिया जाए। इस संबंध में ब्रहमपुत्र बोर्ड के राजभाषा अधिकारी ने प्रस्ताव रखा कि पहला सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया जाए।

अंत में, अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

****